

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

**पीठासीन अधिकारी- डॉ० एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या- 185/16**

**बउनवान**

**श्योजी पुत्र श्री छीतरलाल जाति-माली निवासी-नारेडा  
तहसील-बारां, जिला-बारां (राज०)**

**बनाम**

**राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां**

**(रेस्पोंडेंट)**

**अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थिति :-1. श्री अब्दुल गफ्फार खान, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार**

**(अपीलांट)**

**(रेस्पोंडेंट)**

**निर्णय दिनांक-22.02.2018**



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-नारेडा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 828 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 160/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना ही कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गयी।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोप्स तामील नहीं हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं

**जिला कलक्टर  
बारां (राज०)**





है। कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके पूर्ण धारणा बनाकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड व साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। वर्तमान में विवादित आराजी खाली पडी हुयी है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।


इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील करवाकर, विधिवत सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिचार करने पर मि0नं0 874/13 निर्णय दिनांक 30.12.2013 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 650/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दें कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (सब०)